संख्या 13/1/97–का-1/1997

प्रेषक,

जगजीत सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ, दिनांक : 9 मई, 1997

विषय : समूह "क" (श्रेणी - 1) के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों का निस्तारण।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–1

कतिपय स्रोतों से शासन के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इनमें कुछ मा० सांसदों/विधायकों से प्राप्त शिकायतें होती है तथा कुछ अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त होती है। कतिपय मामलों में यह देखा गया है कि शिकायती-पत्रों में अंकित शिकायत कर्ता का नाम फर्जी है तथा शिकायतें निराधार व तथ्यहीन है। कतिपय मामलों में किसी विशिष्ट व्यक्ति के पैड का दुरुपयोग करते हुए फर्जी हस्ताक्षर से शिकायती पत्र दिये जाते हैं।

2–अतः बेनामी अथवा फर्जी शिकायतों की बढ़ती प्रवृत्ति को दृष्टि में रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि समूह "क" (श्रेणी-1) के सभी अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाय :–

(1) विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती-पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्टि करा ली जाय कि पत्र उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षरित है और शिकायतों के सम्बन्ध में उनका सन्तोष हो गया है कि शिकायतें तथ्यों पर आधारित हैं।

(2) अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ-पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाय और इसके प्राप्त होने के उपरान्त ही आगे कार्यवाही की जाय।

3–अतः आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि समूह "क" (श्रेणी-1) के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शासन के विभिन्न स्तरों पर लम्बित/प्राप्त होने वाले समस्त शिकायती-पत्रों का उपरोक्त निर्णयों के अनुसार ही निस्तारण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
जगजीत सिंह,
सचिव।

संख्या 13/1/97–का-1/1997, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव, सतर्कता विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0
(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
के0 एम0 लाल,
विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner

संख्या 13/1/97-का-1/1997

प्रेषक,

जगजीत सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ, दिनांक : 01 अगस्त, 1997

विषय : समूह "ख", "ग" तथा "घ" के सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों का निस्तारण।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-1

कतिपय स्रोतों से समूह "क" (श्रेणी-I) के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों के निस्तारण हेतु समसंख्यक शासनादेश दिनांक 09 मई, 1997 में प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समूह "ख", "ग" तथा "घ" श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों के निस्तारण हेतु भी समान प्रक्रिया अपनायी जाय। उक्त प्रक्रिया निम्नवत् है :-

(1) विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती-पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्टि करा ली जाय कि पत्र उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षरित है और शिकायतों के सम्बन्ध में उनका सन्तोष हो गया है कि शिकायतें तथ्यों पर आधारित हैं।

(2) अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ-पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाय और उनके प्राप्त होने के उपरान्त ही आगे कार्यवाही की जाय।

2-अतः आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि, शासन के विभिन्न स्तरों पर लम्बित/प्राप्त होने वाले समस्त शिकायती-पत्रों का उपरोक्त निर्णयों के अनुसार ही निस्तारण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
जगजीत सिंह,
सचिव।

संख्या 13/1/97-का-1/1997, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव, सतर्कता विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
के0 एम0 लाल,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 1 सा0 नियुक्ति-21-4-2012-(99)-4000+2 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।

I_Sa Niyukti_2012_Data I

Scanned with CamScanner

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW
ESTABLISHMENT SECTION

OFFICE MEMORANDUM

No. 1605 /Estb/AHCL/2025 **Dated:03.03.2025**

Under the order dated 03.03.2025 of the Learned Senior Registrar of this Court in the matter of complaint dated 14.02.2025 filed by you against Sri Raj Bahadur (Emp. No.6743), Class-IV employees of this Hon'ble Court, you are *hereby required* to submit an affidavit in support of aforesaid complaint as well as *corroborating* evidences in light of G.O. No.13/1/97-Ka-1-1/1997 dated 01.08.1997 at the earliest.

Raj
03-3-25
Assistant Registrar (Estb.)

Through Court Officer (Nazarat)/ Assistant Registrar (Nazarat)

Sri Ramanand Rawat (Emp. No.6758),
Class-IV Employee,
High Court of Judicature at Allahabad,
Lucknow.

Scanned with CamScanner